


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>31.10.19</p>	<p>सरकारी पेशेवर, कील अर्थात् अ... सरकारी पेशेवर बहल के दौरा बताया कि अर्थात् द्वारा जात वाली उपर के एं. नं. 1087 रफका 2-07 की विरुद्ध नदरी दोग का वृत्ति से कृषि उपभोग कर भुक्ति का स्वरूप बदल दिया है तथा पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे वृत्ति वृत्ति की स्थिति स्वरूप किंगड रूठों लिहाजा अर्थात् के जाए अस्थाई निषेधाज्ञा पाठ्य किया जागा आवश्यक है। बहल पर मनन दिया पत्रावली के उपलब्ध रूठ/दस्तावेज का हवाला कर किया गया के परन्तु मूल वाद 91.9 के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी बिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। लिहाजा अर्थात् वृत्ति वृत्ति मूल वाद उपर भुक्ति को बंधाव, निर्माण, हस्तान्तरण नही करे। प्रार्थना पर केसल सुना होकर नम्र से कम है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर पाली (राज.) </p>

